NIS

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1047 / एफ–7–44 / 31 / एस–2 / 2020, अटल नगर, दिनांक 27 / 02 / 2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–रायगढ़ के बैसपाली नंदेली माईनर में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।**

संदर्भ :– प्र.अ. का पत्र क्र.–50 / बो.प्र. / AA / तक. / ह.क. / 2020 / 5716, दि. 26.06.2020.

––00––

DM(Y)
CA SB
SE(B)
3/3/21

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–367 / सी–28269 / 11 / वित्त / नियम / चार, रायपुर दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50 / 2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 के अनुक्रमांक–88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–रायगढ़ के बैसपाली नंदेली माईनर में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रू. 63.53 लाख (रूपये तिरसठ लाख तिरपन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना की रूपांकित क्षमता 120 हेक्टेयर है। वर्तमान में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। प्रस्तावित कार्य के उपरान्त पूर्ण रूपांकित सिंचाई क्षमता के साथ 13 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई का भी लक्ष्य रखा गया है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {103}–सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97–निर्माण कार्य–003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
02 MAR 2021
SE(Bodhi)
प्रमुख.................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\D.2-WRD 2017\AARAA 199.doc.docx

..2

पृ.क्र. 1048 / एफ–7–44 / 31 / एस–2 / 2020, अटल नगर, दिनांक 27 / 02 / 2021

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

8 कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर.।

10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।

11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।

12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।

13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़, जिला–रायगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\D 2-WRD 2017\AARAA 199.doc.docx